पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 77/2022 (77/2022)

अनवान : —

1. जैतुन बानो पत्नी मोती खॉं जाति कायमखानी निवासी तहसील भादरा।
2. रोशनी बानो पत्नी लाल खॉं जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा।
3. अलहम्दो बानो पुत्री लाल खॉं जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा।
4. याकुब खॉं पुत्र लाल खॉं जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा।
5. मोबिना बानो पुत्री लाल खॉं जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा।
6. मोहम्मद रफीक पुत्र लाल खॉं जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा।
7. सलमा बानो पुत्री लाल खॉं जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा।
8. असलम खॉं पुत्र लाल खॉं जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. सदीक पुत्र सुभान खॉं जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा। तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कृष्ण यादव व वकील प्रतिवादी श्री सतवीर पूनिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता सं0 23/20 के मु0न0 13 के किला न0 1 की 0.253है0 किला न0 2/1 की 0.228है0 किला न0 2/2 की 0.025है0 गै0मु0 खाला किला न0 9, 10 प्रत्येक की 0.253है0 किला न0 11 की 0.240है0 किला न0 12 की 0. 253है0 किला न0 17, 24 प्रत्येक की 0.253है0 राजस्व रिकार्ड में वादीया जैतुन बानो, प्रतिवादी याकुब, लाल खॉं(फौत) व सदीक के प्रत्येक 1/4 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है उसमें लाल खॉं की जगह उसके वारिसान की घोषणा की जाकर मुताबिक हिस्सा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं 01 का खाता विभाजन निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें—

हिस्सा वादी सं0 1 जैतुन बानो — चक 8 बीएचडी के खाता सं0 23/20 के मु0न0 13 के किला न0 11 की 0.240है0 नहरी व किला न0 12 की 0.253है0 नहरी कुल किता 2 की 0. 493है0 नहरी खातेदारी।

हिस्सा वादी सं0 2 ता 8 बहिस्सा बराबर — चक 8 बीएचडी के खाता सं0 23/20 के मु0न0 13 के किला न0 9, 10 प्रत्येक की 0.253है0 नहरी कुल किता 2 की 0506है0 नहरी खातेदारी।

उपखण्डाधिकारी मुख्यालय
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हिस्सा वादी सं0 4 याकुब – चक 8 बीएचडी के खाता सं0 23/20 के मु0न0 13 के किला न0 1 की 0.253है0 नहरी किला न0 2/1 की 0.228 है0 नहरी व किला न0 2/2 की 0.025है0 गै0मु0 खाला

हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 सदीक खॉ – चक 8 बीएचडी के खाता सं0 23/20 के मु0न0 13 के किला न0 17, 24 प्रत्येक की 0.253है0 नहरी कुल किता 2 की 0.506है0 खातेदारी।

इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा अनुसार खाता विभाजन का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। और यदि किसी खातेदार का हिस्सा बैंक के रहन है तो रहननामा हिस्सा अनुसार खातेदार पर स्थानान्तरित करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/6/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शंकुतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 77/2022

अनवान : —

1. जैतुन बानो पत्नी मोती खॉ जाति कायमखानी निवासी तहसील भादरा।
2. रोशनी बानो पत्नी लाल खॉ जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा।
3. अलहम्दो बानो पुत्री लाल खॉ जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा।
4. याकुब खॉ पुत्र लाल खॉ जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा।
5. मोबिना बानो पुत्री लाल खॉ जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा।
6. मोहम्मद रफीक पुत्र लाल खॉ जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा।
7. सलमा बानो पुत्री लाल खॉ जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा।
8. असलम खॉ पुत्र लाल खॉ जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. सदीक पुत्र सुभान खॉ जाति कायमखानी निवासी त0 भादरा। तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री कृष्णलाल यादव वादी
श्री सतवीर पूनिया प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 17/6/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता सं0 23/20 के मु0न0 13 के किला न0 1 की 0.253है0 किला न0 2/1 की 0.228है0 किला न0 2/2 की 0.025है0 गै0मु0 खाला किला न0 9, 10 प्रत्येक की 0.253है0 किला न0 11 की 0.240है0 किला न0 12 की 0.253है0 किला न0 17, 24 प्रत्येक की 0.253है0 राजस्व रिकार्ड में वादीया जैतुन बानो, प्रतिवादी याकुब, लाल खॉ(फौत) व सदीक के प्रत्येक 1/4 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने—अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग—अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सींव डोल बने हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि गुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुखास्मत है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया । प्रतिवादी सं0 2 की ओर से स्टैट जवाब प्रस्तुत किया गया।

साक्ष्यवादी में वादी याकुब खॉ के द्वारा जमाबंदी प्रर्दश 1, नजरी नक्शा प्रर्दश 2, रंगदार नक्शा प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाण पत्र लाल खॉ प्रदर्श 4 व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीक्री किया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता सं0 23/20 के मु0न0 13 के किला न0 1 की 0.253है0 किला न0 2/1 की 0.228है0 किला न0 2/2 की 0.025है0 गै0मु0 खाला किला न0 9, 10 प्रत्येक की 0.253है0 किला न0 11 की 0.240है0 किला न0 12 की 0.253है0 किला न0 17, 24 प्रत्येक की 0.253है0 राजस्व रिकार्ड में वादीया जैतुन बानो, प्रतिवादी याकुब, लाल खॉ(फौत) व सदीक के प्रत्येक 1/4 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में खाता विभाजन अलग–अलग करवाने हेतु निवेदन किया। वादीगण सं0 2 ता 8 के पिता लाल खॉ के पिता की मृत्यु हो चूकि हैं जिसके जायज वारिसान वादीगण सं0 2 ता 8 बतौर पक्षकार पत्रावली में दर्ज है अतः लाल खॉ के हिस्से पर उसके वारिसान को खातेदार घोषित किया जाता है तथा मुताबिक हिस्सा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं 01 का खाता विभाजन निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें–

हिस्सा वादी सं0 1 जैतुन बानो – चक 8 बीएचडी के खाता सं0 23/20 के मु0न0 13 के किला न0 11 की 0.240है0 नहरी व किला न0 12 की 0.253है0 नहरी कुल किता 2 की 0.493है0 नहरी खातेदारी।

हिस्सा वादी सं0 2 ता 8 बहिस्सा बराबर – चक 8 बीएचडी के खाता सं0 23/20 के मु0न0 13 के किला न0 9, 10 प्रत्येक की 0.253है0 नहरी कुल किता 2 की 0506है0 नहरी खातेदारी।

हिस्सा वादी सं0 4 याकुब – चक 8 बीएचडी के खाता सं0 23/20 के मु0न0 13 के किला न0 1 की 0.253है0 नहरी किला न0 2/1 की 0.228 है0 नहरी व किला न0 2/2 की 0.025है0 गै0मु0 खाला

हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 सदीक खॉ – चक 8 बीएचडी के खाता सं0 23/20 के मु0न0 13 के किला न0 17, 24 प्रत्येक की 0.253है0 नहरी कुल किता 2 की 0.506है0 खातेदारी।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा अनुसार खाता विभाजन का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। और यदि किसी खातेदार का हिस्सा बैंक के रहन है तो रहननामा हिस्सा अनुसार खातेदार पर स्थानान्तरित करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/6/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़